संख्या-747/2017/1242/22-2-2017-17(456)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री महीपाल निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3 (एम-02-05-2017) दिनांक-18-05-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री महीपाल, निवासी-ग्राम-बुड़सानी, थाना-बलैनी, जनपद- बागपत का रहने वाला है। दिनांक 04.07.1997 की रात्रि 09:15 बजे मृतक श्याम सिंह के घर भाई सूबे सिंह, रनवीर आपस में बात कर रहे थे उसी समय अभियुक्त ओमवीर व सुभाष वहां आये और सुभाष ने श्याम सिंह से पूछा कि तुम राजेन्द्र चेयरमैन की हत्या के केस में राजीनामा क्यों कर रहे हो। श्याम सिंह के यह कहने पर कि मुझे गांव में रहना है इसलिये राजीनामा कर रहा हूँ, से नाराज होकर तमन्चे से गोलियां चला दी जो श्याम सिंह के पेट में लगी, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1226/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 12.11.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रि0 अपील सं0-2607/1998 में मा0 उच्च नयायालय के आदेश दिनांक 21.08.2007 द्वारा 25 आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त् करते हुए धारा 302/34, 307/34 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 19 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 04.07.1997 को मृतक श्याम सिंह से पूछा कि तुम राजेन्द्र चेयरमैन की हत्या के केस में राजीनामा क्यों कर रहे हो। श्याम सिंह के यह कहने पर कि मुझे गांव में रहना है इसलिये राजीनामा कर रहा हूँ, इसी कारण तमन्चे से गोलियां चलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, आगे निरूद्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री महीपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी ओमवीर (बन्दी संख्या-13760) पुत्र श्री महीपाल निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-747/2017/1242(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-747/2017/1242/22-2-2017-17(456)/2017

दिनांक 31 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री महीपाल, निवासी-ग्राम-बुडसानी, थाना-बलैनी, जनपद- बागपत का रहने वाला है। दिनांक 04.07.1997 की रात्रि 09:15 बजे मृतक श्याम सिंह के घर भाई सूबे सिंह, रनवीर आपस में बात कर रहे थे उसी समय अभियुक्त ओमवीर व सुभाष वहां आये और सुभाष ने श्याम सिंह से पूछा कि तुम राजेन्द्र चेयरमैन की हत्या के केस में राजीनामा क्यों कर रहे हो। श्याम सिंह के यह कहने पर कि मुझे गांव में रहना है इसलिये राजीनामा कर रहा हूँ, से नाराज होकर तमन्चे से गोलियां चला दी जो श्याम सिंह के पेट में लगी, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1226/1997 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34, 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, मेंरठ के आदेश दिनांक 12.11.1998 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में योजित क्रि0 अपील सं0-2607/1998 में मा0 उच्च नयायालय के आदेश दिनांक 21.08.2007 द्वारा 25 आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त् करते हुए धारा 302/34, 307/34 में दी गयी आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.03.2017 तक 19 वर्ष 08 माह 01 दिन की अपरिहार सजा तथा 25 वर्ष 09 माह 08 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 04.07.1997 को मृतक श्याम सिंह से पूछा कि तुम राजेन्द्र चेयरमैन की हत्या के केस में राजीनामा क्यों कर रहे हो। श्याम सिंह के यह कहने पर कि मुझे गांव में रहना है इसलिये राजीनामा कर रहा हूँ, इसी कारण तमन्चे से गोलियां चलाकर हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने, आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, इसकी पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी ओमवीर पुत्र श्री महीपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in